भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **902**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

यूरिया और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता

902. श्री के.ई.प्रकाश:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु राज्य में विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में यूरिया और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यूरिया और अन्य उर्वरकों की कीमत में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मूल्य वृद्धि में योगदान देने वाले कारक क्या हैं; और

(घ) देश में विशेष रूप से चरम कृषि मौसम के दौरान, किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए यूरिया और अन्य उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया गया है?

<u>उत्तर</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): चालू खरीफ 2024 मौसम (21.07.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान तमिलनाडु राज्य में यूरिया और अन्य उर्वरकों की उपलब्धता नीचे दी गई तालिका के अनुसार सहज रही है:

खरीफ 2024 के दौरान तमिलनाडु में उर्वरकों की स्थिति						
						आंकड़े एलएमटी में
क्र.सं.	**उत्पाद**	**खरीफ 2024 के लिए मौसम संबंधी आवश्यकता**	**01/04/2024 से 21/07/2024 तक यथानुपात आवश्यकता**	**01/04/2024 से 21/07/2024 तक उपलब्धता**	**01/04/2024 से 21/07/2024 तक संचयी डीबीटी बिक्री**	**21/07/2024 की स्थिति के अनुसार अंतिम स्टॉक**
1	**यूरिया**	4.91	2.60	4.73	2.73	2.00
2	**डीएपी**	1.40	0.79	0.98	0.54	0.44
3	**एमओपी**	1.04	0.59	0.77	0.40	0.37
4	**एनपीकेएस**	4.54	2.53	4.26	1.96	2.30

इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग को राज्य स्तर पर उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने का अधिदेश प्राप्त है। तथापि, राज्य के भीतर, विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ख) और (ग): किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 कि.ग्रा. की बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य 242 रुपए प्रति बोरी (नीम लेपन के प्रभारों तथा यथा लागू करों को छोड़कर) है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के लिए तर्कसंगत दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि पीएण्डके उर्वरक किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। तदनुसार, सब्सिडी प्राप्त दरों पर सभी किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है।

(घ): देश में विशेषकर व्यस्ततम कृषि मौसमों के दौरान किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा यूरिया और अन्य उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों की यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और लगातार उपलब्धता की निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्तहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरक भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

v. उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौसम के लिए आयात को भी पहले से ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

****